संख्या-46/2016/340/22-2-2016-17(95)/2012

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 4 मई, 2016***

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव, निवासी-557/6क, ओमनगर, थाना-आलमबाग, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 20.01.2008 को ओम प्रकाश गुप्ता की आठ वर्षीय पुत्री कुमारी ज्योति को टी0वी0 दिखाने के बहाने से अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-765/08 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376(2)(F) आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-3, लखनऊ द्वारा दिनांक 28-02-2011 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23-09-2015 तक 07 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 09 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। दिनांक 23.09.2015 को बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रायोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-704/2011) पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-340/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-340/22-2-2016-17(95)/2012

दिनांक 04 मई, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव, निवासी-557/6क, ओमनगर, थाना-आलमबाग, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 20.01.2008 को ओम प्रकाश गुप्ता की आठ वर्षीय पुत्री कुमारी ज्योति को टी0वी0 दिखाने के बहाने से अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-765/08 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376(2)(F) आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-3, लखनऊ द्वारा दिनांक 28-02-2011 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23-09-2015 तक 07 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 09 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। दिनांक 23.09.2015 को बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रायोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सर्वेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्यामलाल श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in